सड़क निर्माण

वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तो के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शर्तो का विवरण :–

1. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
3. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
4. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
5. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में पेड़ो का पातन/निस्तारण केवल उत्तरांचल वन विकास निगम के माध्यम से ही निस्तारित किया जायेगा।
7. वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ईधन की लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईधन सामग्री उपलब्ध करायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(अनुदेश भाग–1 के लिए)

परियोजना अधिकारी कॉलम–1 (यथा अवतलन विश्लेषण रिर्पोट आदि के साथ मुख्य खनिजों/सी एम पी डी आई योजना के लिए आई बी एम अनुमादित खनन योजना को पूरा करने के अलवा अनुमादित परियोजना/योजना की एक प्रति संलग्न करेंगें।

मानचित्र मूल होने चाहिए और वह परियोजना अधिकारीयों और सम्बन्धित डी0सी0एफ0 कॉलम 1 (ii) द्वारा संयुक्त रूप से अधिप्रमाणित होना चाहिए।

सडक ट्रासंमिशन लाइने रेलवे लाइने नहर आदि जैसी परियोजना के मामले में विशेष रूप से जॉच किये गये वैकल्पिक संरेखण का पूर्ण विवरण होना चाहिए और मानचित्र में कॉलम 1 (iii) में दिये गये प्रत्येक विकल्प में शामिल वन भूमि क्षेत्र के विवरण दिये जाने चाहिए।

खनन से सम्बन्धित प्रस्तावों के लिए वनेतर क्षेत्रो के चारो ओर/आस–पास उक्त खनिज की अनुनलब्धता के बारे मे जिला खनन पदाधिकारी जैसे सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

यदि उक्त कम्पनी/व्यक्ति ने राज्य में समान परियोजना के लिए वन भूमि ली है तो परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के साथ–साथ अनुलग्न में दिये गये ऐसे सभी अनुमोदनों /पट्टो का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा जारी अद्यतन स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यदि ऐसी सूचनाए दिये गये कॉलम में उपयुक्त नही बैठते है तो उन्हे अलग से संलग्न किया जाना चाहिए।

1. प्रस्ताव की प्राप्ति पर नोडल अधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को
2. इसकी प्राप्ती की रसीद देगा जिसमे प्रस्ताव का नाम क्षेत्र हेक्टेयर में कम संख्या और प्राप्ति की तारीख का उल्लेख होगा।
3. यदि उपर दिया गया स्थान किसी सूचना को निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त नही है। कृपया अलग से ब्यौरा/दस्तावेजो को संलग्न करें।
4. प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को अग्रेषित करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रायल भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी स्पष्टीकरण के साथ पठित उपर्युक्त निर्धारित फार्म के अनुसार मामले के सभी पहलुओं पर पूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधुरे प्रस्तावों पर विचार नही किया जाएगा।
5. राज्य सरकार समय सीमा के भीतर प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत करेगी। यदि अगषित करनें में विलम्ब हुआ तो इसके कारणों को अग्रेषण/पत्र में दिया जाना चाहिए।